राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कर्नल कुलदीप सिंह बनाम तीजा देवी

तारीख हुक्म	677/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए आदेश दिनांक 08/07/2020 पारित करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 4 की और से अधिवक्ता के उपस्थित आने पर उनकी बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनाकं 21/07/2023 पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 4 (तीजा, हरबक्श, मोहरू व लालाराम) को विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 428 में उनके हिस्से की हद तक अन्तरिम आदेश दिनांक 08/07/2020 को प्रभावशून्य किये जाने का आदेश पारित किया गया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दोनों पक्षों को सुनकर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा के सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विश्लेषण/विवेचन करते हुये युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना आवश्यक होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/07/2023 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओ का विश्लेषण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पुन: पारित करे। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कर्नल कुलदीप सिंह बनाम तीजा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष दिनांक 06/01/2026 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	